न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 53/2023, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. गोविन्द सहाय पुत्र रामकुवार जाति गुर्जर निवासी भोजपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राकेश कुमार मीना उप जिला कलक्टर सिकराय।
2. बनवारी लाल पुत्र मिटटूराम जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।
3. रघुवीरसिंह पुत्र हरसहाय जाति गुर्जर निवासी भोजपरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण विरूद्ध उप जिला कलक्टर सिकराय बाबत मुकदमा अधिघोषणा व दुरूस्ती तरमीम व नक्शा उनवानी बनवारी लाल बनाम गोविन्द सहाय मु0नं0 82/2022

उपस्थिति : श्री गुरूदयाल सिंह कसाना अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री सी0एल0 मीना अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः– 26.9.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि उप जिला कलक्टर सिकराय द्वारा मुकदमा उनवानी बनवारीलाल बनाम गोविन्दसहाय में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.2.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील उनवानी गोविन्द सहाय बनाम बनवारी लाल में भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा ने अपील को स्वीकार करके दिनांक 12.3.2022 को इस निर्देश के साथ उप जिला कलक्टर सिकराय को रिमाण्ड किया कि प्रतिवादीगण का जवाब दावा लेकर प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर उक्त तनकियात पर उभयपक्षकारान से साक्ष्य सबूत लिया जावे तथा साक्ष्योपरान्त गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। साथ ही यह भी आदेश दिया कि अपीलांट प्रतिवादी के अलावा शेष पक्षकारान को अपने स्तर पर तलबी उपरान्त उनको भी जवाब दावा का अवसर प्रदान करे तथा विधि अनुसार निर्णय पारित करें। किन्तु उप जिला कलक्टर सिकराय ने कानूनी प्रावधानों एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करके उक्त वाद का वादी के पक्ष में निर्णय करने पर आमादा है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर सिकराय से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। उपस्थित अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि दिनांक 18.4.2022 को प्रार्थी ने अपना जवाब दावा पेश यिा और तारीख पेशी 25.4.2022 नियत कर दी और दिनांक 18.4.2022 को ही रघुवीर सिंह पुत्र हरसहाय की ओर से प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी पेश किया गया जिसकी प्रार्थी को नकल दिलवाये बिना ही व बिना बहस सुने ही प्रार्थना पत्र को नोन स्पीकिंग आदेश पारित करके दिनांक 25.4.2022 को स्वीकार कर लिया। उप जिला कलक्टर जून 2023 में राजस्व अभियान में कोर्ट में नहीं बिराजते थे तथा कॉमन तारीख पेशीयां दी जाती थी किन्तु इस प्रकरण में दिनांक 12.6.2023 की तारीख में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी की साक्ष्य में तीन शपथ पत्र ले लिये जिनकी नकल प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता को नहीं दिलवाई तथा 4 दिन बाद ही दिनांक 16.6.2023 को कोर्ट में नहीं विराजने के बावजूद भी जिरह का अवसर बंद कर दिया जो कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है। न्याय का यह सार्वभौम सिद्धान्त है कि न्याय हो रहा है ऐसा होना प्रतीत भी होना चाहिये। पीठासीन अधिकारी के उक्त रवैये से प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। इसलिये प्रकरण का अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में विचाराधीन प्रकरण न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा द्वारा रिमाण्ड किया जाने पर वर्ष 2022 में पुनः दर्ज किया गया है। न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है और न ही साक्ष्य प्रतिवादी जिरह हेु गवाह उपस्थित हुए बल्कि प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण नहीं करवाकर इसको लम्बित रखना चाहता है एवं अप्रार्थी को परेशान करने की नीयत से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया गया है। इसलिये प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमावें।

उप जिला कलक्टर सिकराय की टिप्पणी के अनुसार विचाराधीन प्रकरण में नियमानुसार तनकीयात कायम की गई है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 में प्रार्थी का हित निहित होने के कारण स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी को जिरह हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये है। दिनांक 03.7.2023 को प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किया गया था किन्तु साक्ष्य पेश नहीं किए जाने पर दिनांक 19.7.2023 को कोस्ट लगाई गई है। प्रार्थी द्वारा लगाए गये आरोप निराधार एवं गलत होना व्यक्त किया गया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा द्वारा रिमाण्ड किया जाने पर प्रकरण वर्ष 2022 में पुनः दर्ज किया गया है। पत्रावली में प्रतिवादी अधिवक्ता को जिरह साक्ष्य वादी हेतु अवसर दिया गया था किन्तु प्रतिवादी अधिवक्ता जिरह साक्ष्य वादी हेतु उपस्थित नहीं हुये। उसके पश्चात् प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी भी पेश नहीं किये गये। बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य प्रतिवादी जिरह हेतु गवाह उपस्थित नहीं हुये। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विधि अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही न की जाकर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिससे प्रार्थी का उद्देश्य प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। उप जिला कलक्टर सिकराय को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजकुमार कस्वा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.9.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा